Parliamentary Panel Moots SRO to Regulate Crypto Until Law Enacted

Standing Committee bats for a statutory framework given unique nature of tokens and risks

Sugata Ghosh

Mumbai: A self-regulatory organisation (SRO) may serve as an interim mechanism till India has a law to govern cryptocurrencies. Such an SRO should operate under the oversight of one of the regulators, according to a Parliamentary panel report submitted this week.

While crypto profits and deals are taxed, and crypto trading platforms share transaction data with the central anti-money laundering agency, no dedicated statute or regulatory framework exists for crypto.

The Standing Committee on Finance 2025-26 has recommend that the government should comprehensively examine the need for an appropriate statutory and regulatory framework for Virtual Digital Assets (VDAs), which include cryptos, non-fungible tokens, and decentralised finance (DeFi) tokens.

"The crypto industry is probably in favour of an SRO. However, given unique risks involving money laundering, terror financing, borderless transactions, stablecoin-based dollarisation, and tax evasion, it's important that at least one of the central regulators like RBI or Sebi keeps a serious oversight," said a senior industry person.

With international organisations like the Financial Action Task Force (FATF), Bank for International Settlements (BIS), and IMF having warned about these risks, many consider a strong sovereign crypto regulation a national security necessity. An industry self-regulation can thus only be a temporary exercise.

The proposed SRO framework, the committee said, should prescribe minimum standards of governance, transparency, disclosure, investor protection, grievance redressal, compliance with prescribed codes of conduct and appropriate regulatory oversight, so as to mitigate risks arising from a regulatory void.

The collapse of FTX, which was one of the world's largest crypto exchanges with operations in the US, in November 2022, brought to the fore how misuse of customer funds can cripple crypto house. In the absence of regulations, crypto platforms may have extensive control over customer assets.

"Customer funds must be legally segregated from company funds and regularly audited by the Government of India, because collecting crypto taxes while ignoring custody and consumer protection may leave investors dangerously exposed," said another person.

FROM 52-WEEK HIGH TO 52-WEEK LOW IN EIGHT MONTHS

Cigarette Tax Hike Stubbed Out ITC's Share Gains: Puri

To counter impact via calibrated price hikes, new launches and business diversification

Our Bureau

Kolkata: The nearly 70% recent increase in cigarette taxation has weighed heavily on ITC's share price, prompting the company to "roll up its sleeves" to counter the impact through calibrated price increases, a slew of new product launches in the cigarette category and higher investments in its non-cigarette businesses, chairman and managing director Sanjiv Puri said.

"The drop in the share price has been consequent to the changes in cigarette taxation since February. This has been a historical trend. Before the tax hike, ITC's share price had crossed ₹400," Puri told shareholders while addressing the Kolkata-based conglomerate's 115th annual general meeting, held virtually on Thursday.

ITC's stock had touched a 52-week high of ₹426.5 on the BSE in October before tumbling after the tax increase. It hit a 52-week low of ₹275 in June and closed at ₹281.4 on Thursday.

Puri said that while determining the company's share price is not the management's role, the focus remains on creating long-term value for shareholders, which should eventually be reflected in the stock's performance. "The huge increase in taxation is a challenge, but we are taking appropriate steps to deal with the situation. This includes calibrated approach in price hike to minimise the losses to illicit cigarettes and re-architect the portfolio through innovation and the launch of multiple new SKUs," he said.

Tax arbitrage with illicit cigarettes remains a major concern, as repeated tax increases have fuelled the growth of the illegal market, where products evade taxes and are often sold at a fraction of the price of legal cigarettes.

Puri said cigarettes are taxed nearly 50 times more than several other tobacco products, and the company is engaging with policymakers to highlight this disparity.

While ITC commands more than 75% of the legal cigarette market, the company has been steadily diversifying into FMCG, agri-business and paperboards and packaging to reduce its dependence on cigarettes.

Real Estate Finds its Footing Despite Global Headwinds

Kailash Babar

Mumbai: India's real estate sector is showing early signs of stabilisation after a sharp deterioration in sentiment earlier this year, according to a survey, with stakeholders indicating that global uncertainties continue to weigh on the market but are no longer worsening at the same pace.

While the residential market is entering a phase of normalisation following multiple years of sustained growth, robust office leasing activity and resilient domestic economic fundamentals continue to underpin confidence in the sector's long-term outlook, according to a survey by Knight Frank and the National Real Estate Development Council (NAREDCO).

The latest sentiment score, based on the responses of more than 120 industry stakeholders for the quarter ended June, slipped marginally to 48 from 49 in the previous quarter, remaining in the pessimistic zone.

The future sentiment score, however, remained unchanged at a neutral 50, suggesting that the sharp deterioration witnessed in the previous quarter has levelled off as stakeholders expect prevailing challenges to persist over the next six months.

"The real estate sector continues to navigate a complex global environment characterised by geopolitical tensions, inflationary pressures and volatile energy markets.

जगुआर कार से चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, लाखों कैश व गहने बरामद

वरीय संवाददाता

रांची : अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पॉश इलाके अशोक नगर में बीते 9 जुलाई को हुई एक बड़ी चोरी की घटना को सुलझाने में रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में एक ऐसे शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो जगुआर जैसी लग्जरी कार में सवार होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 17 लाख 36 हजार 200 रुपये नकद, सोने-हीरे के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई नीले रंग की जगुआर कार बरामद की है। फिलहाल गिरोह के मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान व उसके खास सहयोगी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने चोरी का सामान छिपाने के आरोप में दो महिला को गिरफ्तार किया है।

इनमें से एक उसकी पत्नी है। मालूम हो कि अशोक नगर में चोरों ने निश्चित केसरी और अखिलेश पांडेय के घरों को निशाना बनाया था। घटना के बाद मामले की जांच के लिए रांची पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया था। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पूरे मामले की जांच की और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह तक पहुंच गई। पुलिस जांच में पता चला है कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि एक खूंखार अंतरराज्यीय गिरोह की करतूत थी। इस गिरोह में शामिल मुख्य आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान और उसके दो सहयोगी अफरोज और नवीन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, गिरोह का मुख्य सरगना मोहम्मद इरफान का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसने देश के कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ कानपुर, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद, गोवा, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, पुणे, केरल, सीतामढ़ी और जालंधर समेत कई जगहों पर मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद इरफान पर अलग-अलग राज्यों में करीब 80 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।

बेल्जियम से झारखंड दौरा पर आए विद्यार्थियों ने झारखंड विधान सभा का भ्रमण किया

वरीय संवाददाता

रांची : विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत बेल्जियम से झारखंड दौरा पर आए विद्यार्थियों ने गुरुवार को झारखंड विधान सभा का भ्रमण किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की। अपने झारखंड दौरे के अनुभव साझा किए। अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने विद्यार्थियों को झारखंड विधान सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक सदन संवाद स्मृति-चिह्न स्वरूप भेंट की। विद्यार्थियों ने झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामाजिक विविधता,

परंपराओं व स्थानीय जीवनशैली को जानने-समझने के अपने अनुभवों को अध्यक्ष के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि झारखंड का सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य व यहां के लोगों का आत्मीय व्यवहार उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। अध्यक्ष ने बेल्जियम से आए विद्यार्थियों का झारखंड विधान सभा में स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि विभिन्न देशों के बीच आपसी समझ, मैत्री संबंध और ज्ञान के विस्तार को भी नये आयाम देते हैं।

अपहरण कर मांगी थी फिरौती, तीन गिरफ्तार

रांची : डोरंडा के गौरी शंकर नगर, राम मंदिर के समीप रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाते हुए चारो युवकों पर संदेह जताते हुये पुलिस से शिकायत की थी। फोन कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने की भी जानकारी पुलिस को दी थी। इस मामले पुलिस ने त्वरित छानबीन करते हुये दो घंटे के भीतर सी अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तीनों से पूछताछ शुरू कर दी गयी है, ताकि इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा सके।

खलारी व मैकलुस्कीगंज थाना में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित

खलारी: खलारी प्रखंड के खलारी एवं मैकलुस्कीगंज थाना परिसर में गुरुवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान करना तथा उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। खलारी थाना में प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक राम कुमार वर्मा तथा मैकलुस्कीगंज थाना में थाना प्रभारी धनंजय बैठा एवं एस आई डेगन कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। दोनों थानों में चार-चार आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से एक-एक मामले का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष तीन-तीन मामलों में जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र एवं विधिसम्मत निष्पादन करने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारियों ने बताया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक झगड़े, भूमि विवाद, मारपीट, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा तथा अन्य जन शिकायतों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर उनका त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों को स्थानीय स्तर पर समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुलिस और आमजन के बीच विश्वास भी मजबूत होता है। इस अवसर पर थाना प्रभारियों ने लोगों से आपसी संवाद, समझदारी एवं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे विवादों का समय रहते निपटारा होने से सामाजिक सौहार्द बना रहता है और अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकता है।

नामकुम पुलिस ने ब्राउन शुगर गिरोह का किया भंडाफोड़, 6 तस्कर गिरफ्तार

नामकुम : पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह के छह तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7.47 ग्राम ब्राउन शुगर, 6 स्मार्टफोन और कुल 7,470 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नामकुम क्षेत्र में ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। इसके बाद एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। पुलिस को सूचना थी कि नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी स्थित अंजुमन इस्लामिया के एक अर्धनिर्मित भवन के पीछे कुछ युवक अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं।

पुलिस को देखते ही भागने लगे आरोपी, खदेड़कर छह को पकड़ा : पुलिस की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर छह तस्करों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से अलग-अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की

पुड़िया, नकद राशि और मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज अंसारी, अली खान, अरबाज, फैजान रजा उर्फ सोनू, सोयेब खान और सेराजुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। ब्राउन शुगर तस्कर करीब 12 ग्राम ब्राउन शुगर को 40 पुड़िया में बनाकर लाए थे। इनमें से 14 पुड़िया ग्राहकों को बेची जा चुकी थीं, जबकि बची हुई 26 पुड़िया पुलिस ने जब्त कर लीं। पुलिस अब इस गिरोह के मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।

नामकुम में सार्वजनिक जगहों पर बेची जा रही है गांजा : नामकुम क्षेत्र के ईएसआईसी अस्पताल के ठीक सामने ठेले पर गांजा की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। दिखावे के लिए चॉकलेट और बिस्कुट भी रखी रहती है। किसी को शक न हो इसलिए ठेले को महिला चलाती है। वहीं नामकुम-चुटिया मार्ग के शनि मंदिर के पीछे झोपड़ीनुमा दुकान दिन-रात गांजे की बिक्री होती है। दुर्गा सोरेन चौक पर भी गुमटी में गांजे की बिक्री धड़ल्ले से होती है लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शाम ढलते ही इन जगहों पर दूर-दूर से नशेड़ी पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि पुलिस अचानक से रेड करे तो दुकानों से भारी मात्रा में गांजा की बरामदगी हो जाएगी लेकिन छापेमारी के पूर्व ही दुकानदारों को सूचना मिल जाती है।

अमन साव मुठभेड़ मामले में सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा

रांची : गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में नए अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) की नियुक्ति हुई है। नए आईओ को केस का अध्ययन करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने सीआईडी की केस डायरी सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही इससे संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी कोर्ट को सौंपे गए थे। पूर्व में प्रार्थी के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने अदालत को बताया था कि इस घटना में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थीं, क्योंकि दो अलग मामलों की जांच एक ही एफआईआर के आधार पर नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने पूरे मामले में केवल एक ही एफआईआर दर्ज की है। साथ ही, अमन साव की मां किरण देवी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई शिकायत को अब तक औपचारिक रूप से एफआईआर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है।

पेपर लीक मामले में आरोपी को जमानत नहीं

रांची : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में आरोपी मुकेश कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला 11 अप्रैल को हुई उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटाए जा रहे हैं। सूचना पर गठित विशेष छापेमारी दल ने देर रात कार्रवाई कर 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि गिरोह के एजेंट अभ्यर्थियों को कथित प्रश्नपत्र और उसके उत्तर याद करा रहे थे। मामले में तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 दर्ज है।

उपायुक्त ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों से भी की बात

रांची : जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल रांची में चिकित्सा सुविधाओं को लगातार मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, एमआरआई, शिशु वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, ओपीडी तथा अन्य प्रमुख वार्डों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की समग्र व्यवस्थाओं जैसे दवा उपलब्धता, स्टाफ की उपस्थिति, साफ-सफाई, मरीजों की सुविधा एवं बुनियादी ढांचे आदि का गहन निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल में ईलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों से व्यक्तिगत मुलाकात की तथा अस्पताल की सेवाओं के बारे में उनकी राय जानी। लगभग सभी मरीजों और परिजनों ने सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि यहां डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज बेहतरीन है और निजी अस्पतालों की तुलना में बहुत कम खर्च में उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SUKRITI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED.

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	SUKRITI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	28/02/2011
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated /registered	ROC Ranchi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U85110JH2011PTC014711
5.	Address of the registered office and principal office if any of corporate debtor	Holding No. 143, Khata No. 33, Plot No. 1031, Thana No. 247 Dhurwa, Ward No. 54, Patel, Nagar., Ranchi, Jharkhand, India, 834003
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	20th July 2026 (Order received on 23-07-2026)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	16th January 2027
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Surendra Kumar Agarwal, IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Bhawani Enclave, 3D, 99C Girish Ghosh Road, Liluah, Howrah -711204 surendraca@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Surendra Kumar Agarwal Bhawani Enclave, 3D, 99C Girish Ghosh Road, Liluah, Howrah -711204 E-mail: cirpsukritihospital@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	3rd August 2026
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section 6A of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) Nil as per the available information with IRP
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	· 1 NA · 2 NA · 3 NA
14.	Relevant Forms and	Web link: www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: Bhawani Enclave, 3D, 99C Girish Ghosh Road, Liluah, Howrah - 711204 E-mail: cirpsukritihospital@gmail.com

	Details of authorized representatives are available at:	NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **Sukriti Hospital and Research Centre Private Limited** on 20th July 2026.

The creditors of **Sukriti Hospital and Research Centre Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **3rd August 2026** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No 10

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class specify class in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties

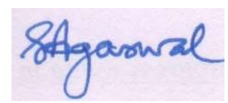

Surendra Kumar Agarwal
IRP of **Sukriti Hospital and Research Centre Private Limited**
Reg No IBBI/IPA-001/IP-P00825/2017-18/11401
AFA No: AA1/11401/02/311226/108608 valid till 31st December, 2026
Bhawani Enclave, 3D, 99C Girish Ghosh Road,
Liluah, Howrah- 711204, West Bengal

Date : 23/07/2026
Place : Howrah